न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2018
प्रविष्टि दिनांक 18–7–2018

1–राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री रामरख जी तेली उम्र 58 वर्ष निवासी तेलियों की गली छोटा , तख्ता वार्ड नम्बर 22 टोंक राज0
2–दामोदर पुत्र स्व0 श्री रामरख जी तेली उम्र 55 वर्ष निवासी तेलियों की गली छोटा , तख्ता वार्ड नम्बर 22 टोंक राज0

– अपीलान्ट्स

बनाम

1–कालूराम पुत्र श्री रिद्धकरण उर्फ रद्दू जी आयु उम्र 60 वर्ष जाति तेली निवासी तेलियों की गली वार्ड नम्बर 22 टोंक राज0
2–प्रहलाद पुत्र श्री रिद्धकरण उर्फ रद्दू जी आयु उम्र 60 वर्ष जाति तेली निवासी तेलियों की गली वार्ड नम्बर 22 टोंक राज0
3–केलाश पुत्र श्री रिद्धकरण उर्फ रद्दू जी आयु उम्र 60 वर्ष जाति तेली निवासी तेलियों की गली वार्ड नम्बर 22 टोंक राज0
4–शम्भू पुत्र श्री रिद्धकरण उर्फ रद्दू जी आयु उम्र 60 वर्ष जाति तेली निवासी तेलियों की गली वार्ड नम्बर 22 टोंक राज0
5–नगर परिषद टोंक जरिए आयुक्त नगर परिषद टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील तहत कानून राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 विरूद्ध आदेश नगर परिषद टोंक दिनांक 18–1–2018

उपस्थिति :– (1) श्री सै0 मजहर आलम अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री केलाश चन्द शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय दिनांक 13–3–2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार से है कि प्रतिपक्षी रेस्पो0 स. 1 ता 4 ने अपीलाण्ट्स के स्वामित्व, अधिकार एंव आधिपत्य के एक मकान वाके गली तेलियान छोटा तख्ता वार्ड नं0 22 टोंक का अपने आपको गलत एंव गैर कानूनी तोर पर मालिक, स्वामी बाताते हुए नगर परिषद टोंक के कर्मचारियों सॉठ गॉठ एंव मिलिभगत करके दिनांक 18–1–2018 को अपने नाम से स्टेट ग्रांट एक्ट 1961 के तहत पट्टा बनवा लिया, लिसे नगर परिषद टोंक द्वारा दिनांक 9–4–2018 को रेस्पोडेण्ट्स को प्रदान किया गया है तथा जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 10–4–2018 को करवाई गई है जिसे को निरस्त करवाये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं तलबी जरिये नोटिस रेस्पोडेण्ट्स की जाकर पट्टे से संबंधित पत्रावली मंगायी गई। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स ने जिस स्थान का पट्टा बनवाया है, उस स्थान से रेस्पोडेण्ट्स की हक मिल्कीयत स्वामित्व एंव आधिपत्य से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा यह कार्यवाही नगर परिषद टोंक के कर्मचारियों सॉठ गॉठ एंव मिलिभगत करके फर्जी तरीके से की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट्स ने प्रश्नगत जमीन के सम्बन्ध में नगर पालिका में जो शपथ पत्र पेश किया है उसमें उन्होंने इस मकान को अपने स्व0 नानाजी श्री गजानन्द जी से एंव अपनी नानी स्व0 श्रीमति केसर बाई से प्राप्त होना बताया है, तथा इसी सम्बन्ध में जो शजरा पेश किया हे, उसमें रेस्पोडेण्ट्स सं0 1 कालूराम को गजानन्द का दत्तक पुत्र होना बताया है, यह दोनों बातें अपने आप में विरोधाभासी है। जिस पर विश्वास करते हुए नगर परिषद टोंक ने जो अपीलाधीन पट्टा जारी किया है, वह कानून एंव तथ्यों के विपरीत है ओर निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व नगर परिषद टोंक द्वारा उक्त प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह भी नियम विरूद्ध एंव विरोधाभासी तथ्यों पर आधारित है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार कालूराम को राधेश्याम का पुत्र बताते हुए दत्तक पुत्र गजानन्द का बतलाया गया है तथा कनिष्ट अभियन्ता की मौका रिपोर्ट में रोस्पोडेण्ट को राधेश्याम का पुत्र होना बताया है तथा यह एक छपे छपाये परफोर्मा में है, जिससे यह साफ जाहिर हे कि यह रिपोर्ट वास्तविक रूप से मौके पर जाकर नहीं बनाई गई है,क्योंकि मौके की स्थिति इस रिपोर्ट से भिन्न है, इसलिए इन विरोधाभासी रिपोर्ट के आधार पर जो पट्टा जारी करने की कार्यवाही की गई है वह नियम विरूद्ध व निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट्स के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि प्रश्नगत भूमि से गजानन्द जी का या उनके पूर्वजों का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, वह तो केवल मात्र प्रश्नगत जमीन के पास में अपीलान्ट्स के जो मकान एंव भूमि खाली पड़ी हुई थी, उसमें अपीलान्ट्स की इजाजत से आकर रहने लग गया था उसके चूँकि कोई लड़का नहीं था केवल मात्र एक रामप्यारी नाम की लड़की थी जो गजानन्द के देहान्त के पश्चात अपने पति रिद्धकरण के साथ आकर यहॉ रहने लग गई थी इसलिए गजानन्द अथवा राधेश्याम का इस मकान के स्वामित्व से भी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। प्रश्नगत मकानात अपीलान्ट्स के पिता स्व0 श्री रामरख जी के पूर्वजों के मोरूसी मकानात हें जिनको अपीलान्ट्स के स्व0 पिता श्री रामरख जी ने अपने जीवनकाल में दोनों पुत्रों (अपीलान्ट्स) को जरिए वसीयत दे दिये थे जिस पर आज तक वसीयत के आधार पर मालिक काबिज चले आ रहे हैं।

अपीलान्ट्स ने अपने उक्त प्रश्नगत ममलूका मकबूजा एंव स्वामित्व के मकानात का नगर परिषद टोंक से क्रमशः 21–12–2012 एंव 23–12–2012 को अपने हम में राज0 स्टेट ग्रान्ट एक्ट, 1961 के तहत पट्टे बनवा लिये थे, जो नगर परिषद टोंक द्वारा दिनांक 24–12–2017 को प्रदान किये गये थे जिनका पंजीयन उप पंजीयक टोंक के कार्यालय में दिनांक 28–5–2018 को करवाया गया है। रेस्पोडेण्ट्स को प्रश्नगत मकानात के जो पट्टे अपीलान्ट्स के हम में नगर परिषद टोंक द्वारा जारी किये गया थे उनका उन्हें शुरू से ही बखूबी इल्म था फिर भी उन्होंने इस तथ्य को छुपाते हुए गलत एंव गैर कानूनी तरीके से इन प्रश्नगत मकानात का पट्टा अपने हक में बना लिया जो पूर्ण रूप से गलत एंव गैरकानूनी है ओर निरस्त किये जाने योग्य है। वेसे भी नगर परिषद टोंक द्वारा जब प्रश्नगत मकानात के स्टेट ग्रान्ट के पट्टे अपीलान्ट्स के हक में जारी कर दिये गये थे तो इसी भूमि (मकानात) का दोबारा से रेस्पोडेण्ट्स के हक में पट्टा जारी करने

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

का कोई कानूनन अधिकार नहीं था, इसलिए रेस्पोडेट्स के हक में नगर परिषद टोंक द्वारा दिनांक 18–1–2018 को जो पट्टा जारी किया गया है वह पूर्ण रूप से गलत एंव खिलाफ कानूनन है आर ऐब इनिश्यो वाईड है तथा अपीलाण्ट्स के हकूक पर बेअसर एंव शून्य है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया कि अपीलान्ट्स ने अपील मीमो में तथ्यो का गलत एंव भ्रामक अंकन किया है, रेस्पोडेण्ट्स के हक में पट्टा विधिवत रूप से प्रक्रिया का पूर्ण पालन करने हुए जारी किया गया है, जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट्स को कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है। पट्टे शुदा समस्त जायदाद रेस्पोडेट्स की पुश्तेनी जायदाद है जिसमें से आगे रोड की ओर दो दुकानात स्व0 गजानन्द जी ने जरिए रजिस्टर्ड बेचान नामा 3 जोलाई 1930(जो दिनांक 7–7–1930 को पंजीबद्ध हुआ) घीसा तेली से क्रय की थी उक्त क्रयशुदा दुकान के पीछे जुनुब में (दक्षिण की ओर) गजानन्द जी के परिवार के पुश्तेनी मकानात पूर्व से मोजूद थे जिसका प्रमाण उक्त रजिस्टर्ड बेचान नामे में जुनुब (दक्षिण में)गजानन्द जी के पिता मूलिया जी वल्द कालू तेली का मकान अंकित होना है। इस प्रकार उक्त समस्त सम्पत्ति गजानन्द जी की पुश्तेनी एंव क्रय शुदा सम्पत्ति है। हमारी माता श्रीमति रामप्यारी उनकी इकलोती सन्तान थी इसलिए शादी के बाद गजानन्द जी के कहने पर हमारी माता एंव पिताजी स्व0 राधेश्याम उर्फ रिद्धकरणजी गजानन्दजी के साथ आकर वादग्रस्त मकान में आकर रहने लगे वादग्रस्त मकान में ही हम सभी रेस्पोडेट्स का जन्म हुआ है ओर वहीं पले बड़े है। स्व0 गजानन्द के कोई पुत्र न होने के कारण हम रेस्पोडेण्ट्स में से कालूराम से विषेश स्नेह के चलते गजानन्दजी ने उसे बचपन से ही विधिवत रूप से गोद लिया था इसलिए कालूराम के पिता (जन्म देने वाले) राधेश्याम उर्फ रिद्धकरण तथा दत्तक पिता स्व0 गजानन्दजी हैं। स्व0 गजानन्दजी का देहान्त लगभग 40 वर्ष पूर्व हो चुका है उनके बाद विवादित सम्पत्ति के मालिक काबिज उनके वारिसान हमारी माता स्व0 रामप्यारी एंव उनके दत्तक पुत्र रेस्पोडेण्ट्स कालूराम हुए तथा हमारी माता रामप्यारी का देहान्त हो जाने से कालूराम सहित हम सभी रेस्पोडेण्ट्स सहित उक्त समपत्ति के एक मात्र काबिज मालिक हैं। पट्टेशुदा सम्पत्ति पर मकानात बनवाकर हम लोग विगत कई वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। अपीलान्टस की दादी श्रीमति गुलाब देवी हमारे पिता की दूर की रिश्तेदार थी। आज के लगभग 60 साल पहले किन्हीं कारणों के चलते श्रीमति गुलाब देवी ने वादग्रस्त सम्पत्ति से लगभग 5–7 मकान दूर स्थित अपना स्वंय का मकान छोड़ दिया था उस समय प्रेम एंव स्नेह के चलते आपसी रिश्तेदारी की वजह से हमारे पिता स्व0 गजानन्दजी ने श्रीमति गुलाब देवी को उनके मालिकाना हक के वादग्रस्त मकान में एक सीध के तीन कमरों में रहने की अनुमति दी थी, तब से वह अपने पुत्र एंव अपीलान्ट्स के पिता स्व0 रामरख के साथ उक्त तीन कमरों में परमेसिव पजेशन के तहत रहने लगी, तब से स्व0 गुलाब देवी उनके पुत्र स्व0 रामरख एंव रामरखजी के पुत्र अपीलान्ट्स मात्र रहने के लिए दी गई उपरोक्त अनुमति के तहत एक सीध के तीन कमरों में वाग्रस्त मकान में रहते आए हैं किन्तु अपीलान्ट्स का वादग्रस्त मकान में कोई मालिकाना अधिकार नहीं हैं।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स का यह भी कथन हे कि वादग्रस्त मकान में अपीलान्ट्स न तो केता है ओर नही यह उसका पुश्तेनी मकान है। नगर परिषद टोंक से अपीलान्ट्स ने प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दौरान गुपचुप रूप से अपने मन मे पैदा हुई बेईमानी के चलते 2012 में अवैध रूप से वादग्रस्त मकान में उनके रहवासी कमरों सहित हम रेस्पोडेण्ट्स के मालिकाना कब्जे में चले आ रहे भाग 14 X 10 फिट को शामिल करते हुए मौके की स्थिति के प्रतिकूल नक्शा पेश करते हुए अवैध पट्टा जारी करवा लिया तथा

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

हम रेस्पोडेंण्ट्स ने लगभग एक वर्ष पूर्व हमारे पहले के मकानों को हटा कर नव निर्माण करने लगे तब हम पर दबाव बनाने एंव हमारे निर्माण को रूकवा कर सम्पत्ति हथियाने के आशय से सिविल न्यायाधीश टोंक के न्यायालय में एक वाद उनवानी राधेश्याम आदि बनाम कालूराम आदि मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेद्याज्ञा पेश किया जहॉ अदालत ने अपीलान्ट्स का अस्थाई निषेद्याज्ञा का अवेदन खारिज कर दिया ओर उक्त आदेश के विरूद्ध अपील में जिला न्यायाधीश टोंक में मात्र 14 X 10 फिट भाग पर यथा स्थिति के आदेश दिये तथा हमारी शेष पट्टा शुदा सम्पत्ति पर निर्माण कार्य के बारे में अपीलीय न्यायालय ने हमारे विरूद्ध कोई आदेश आज तक नहीं दिया। उक्त सिविल वाद में अपीलान्ट्स द्वारा पेश किये गये नक्शे से भी हमारी पट्टेशुदा सम्पत्ति के बारे में स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि अपीलान्ट्स ने मौके की वास्तविक स्थिति से हट कर पीछे दक्षिण की ओर हम रेस्पोडेण्ट्स के निर्मित स्टोर हाल एंव चबूतरे की जगह को नक्शे में दर्शाया ही नहीं अपितु मौके की स्थिति से हट कर वहॉ ओपन चोके गलत रूप से अंकित कर दिया तथा हमारे ही मालिकाना कब्जे के हिस्से में 14 X 10 फिट को विवादित बना दिया जिससे अपीलान्ट्स का कभी कोई सम्बन्ध नही रहा चाहें तो माननीय न्यायालय स्वंय मौके की जॉच कर सकते हैं। अपीलान्ट्स ने अपने उक्त पट्टे को नगर परिषद से रिनीवल करवाते हुए मई 2018 में रजिस्टर्ड करवाया जिसकी पूर्व में भी हमें कोई जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही हमने पट्टे की नकल ली ओर ओर उक्त पट्टे के खिलाफ माननीय न्यायाल में पेश की जो कालूराम आदि बनाम राधेश्याम आदि उनवान के केस नम्बा 4/2018 है एंव लम्बित है। अपीलान्ट्स ने मात्र अपने पिता स्व0 रामरख के नाम की एक जाली एंव फर्जी वसीयत दिनांक 29–3–2001 को नगर परिषद टोंक में पेश करते हुए वादग्रस्त सम्पत्ति को अपनी पुश्तेनी बता कर झूॅठे आधार पर पट्टा प्राप्त किया है जो अवैध है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व नगर परिषद टोंक की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है श्री कालूराम, प्रहलाद केलाश, शम्भूदयाल पुत्र श्री राधेश्याम साहू निवासी वार्ड नम्बर 22 तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक को आयुक्त नगर परिषद टोंक द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 41 दिनांक 6–4–18 से जारी उक्त पट्टे में विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई है। पट्टा जारी करने से पूर्व नोटिस प्रकाशन का कोई सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित हो कि पट्टा जारी करने से पूर्व उज्रदारी/आपत्ति आमंत्रित की गई थी। केवल शपथ पत्रों पर ही विश्वास कर पट्टा जारी कर दिया गया है। मकान के सम्बन्ध में स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मकान के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों की जॉच कर तथा दोनों पक्षों का सुनवाई का समुचित अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 13–3–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner